

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 2053 / 2021

दिनांक 22.09.2021

डॉ. अंजुम खान (RJ0753), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, परबतसर (नागौर) को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:-

01. दिनांक 19.08.2021 से 23.08.2021 तक 05 दिनों का उपार्जित अवकाश ।
02. दिनांक 24.08.2021 से 27.08.2021 तक 04 दिनों का परावर्तित अवकाश
दिनांक 28.08.2021 से 30.08.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

डॉ. खान की अनुपस्थिति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मकराना (नागौर) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, परबतसर (नागौर) के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से

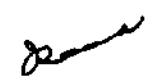
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 21.09.2021

क्रमांक:-स्था.बी.2(4) 36/2013/ 5925

दिनांक 22.09.2021

प्रतिलिपि निम्न सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता को उनके पत्रांक 4908 दिनांक 07.09.2021 के सन्दर्भ में ।
3. डॉ. अंजुम खान (RJ0753), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, परबतसर (नागौर) ।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, परबतसर (नागौर) ।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मकराना (नागौर) ।


सहायक रजिस्ट्रार